



Neutral Citation No. - 2026:AHC:129730

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना पत्र संख्या - 8116 वर्ष 2026**

बिट्टू उर्फ विट्टू उर्फ विशाल राज सिंह

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : फ़िरोज़ अहमद खान, जावेद आलम

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., किरण तिवारी, महेश चंद्र तिवारी

**न्यायालय संख्या - 69**

**माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला**

1. सूची दोहरा कर मुकदमा पुकारा गया, मुकदमा अपराध संख्या 37/2025 के सूचनाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री जावेद आलम और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनी गईं।
3. जब दोपहर से पहले के सेशन में मामला उठाया गया, तो मुकदमा अपराध संख्या 37/2025 के सूचनाकर्ता के अधिवक्ता की बात सुनी गई। कुछ स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद, मामले को दोपहर के बाद के सेशन में फिर से उठाने का निर्देश दिया गया। हालाँकि, जब दोपहर के बाद के सेशन में मामला उठाया गया, तो सूचनाकर्ता के अधिवक्ता पेश नहीं हुए। इसलिए, यह न्यायालय आवेदक को ज़मानत देने के सवाल पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनने के लिए आगे बढ़ी है।
4. यह ज़मानत प्रार्थना पत्र मुकदमा अपराध संख्या 1523/2015, धारा 2/3 30प्र0 गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1986 के तहत पुलिस स्टेशन सिकंदरा, ज़िला आगरा में दर्ज मामले में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में संबंधित परीक्षण न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 20, आगरा द्वारा 08.07.2016 को जमानत दी गई थी। आवेदक नियमित रूप से परीक्षण न्यायालय के सामने पेश हो रहा था। हालाँकि, 2019 में पुलिस ने आवेदक को एक झूठे मामले मुकदमा अपराध संख्या 29/2019 और दो अन्य मामलों मुकदमा अपराध संख्या 120/2019 और मुकदमा अपराध संख्या 121/2019 में गिरफ्तार कर लिया। लगभग 3 साल जेल में बिताने के बाद, आवेदक को आखिरकार 2021 में जमानत पर रिहा किया गया। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि कुछ गलत जानकारी के कारण और अपनी जान के डर से आवेदक परीक्षण न्यायालय के सामने पेश नहीं हो सका, जिससे उसकी जमानत रद्द हो गई; इसके बाद पुलिस ने आवेदक को इस मामले में गिरफ्तार किया और वह 21.01.2026 से जेल में है। आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि इस बीच, आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 737/2025 में झूठा फंसाया गया था, जिसमें आगरा के सत्र न्यायाधीश ने 10.12.2025 को आवेदक को जमानत दे दी है।

6. दूसरी ओर, विद्वान ए.जी.ए.. ने जमानत की प्रार्थना पत्र का विरोध किया है और तर्क दिया है कि आवेदक लगभग 8 वर्षों तक फ़रार रहा है। उसके आपराधिक इतिहास गैंग चार्ट में उल्लिखित एक मामले के अलावा 5 अन्य मामले को देखते हुए, उसे जमानत देने पर यह गंभीर आशंका पैदा होती है कि अगर उसे जमानत पर रिहा किया गया तो वह फिर से फ़रार हो सकता है या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है। हालाँकि, विद्वान ए.जी.ए.. ने आपराधिक इतिहास के संबंध में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा दी गई सफाई पर कोई आपत्ति नहीं जताई है।

7. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है। आवेदक 21.01.2026 से जेल में है। गैंग चार्ट में केवल एक मुख्य मामला दिखाया गया है जिसमें आवेदक जमानत पर है। आवेदक के खिलाफ दिखाए गए अन्य आपराधिक मामलों के बारे में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है और आवेदक पहले से दोषी नहीं है। निकट भविष्य में आवेदक के खिलाफ मुकदमे के पूरा होने की संभावना नहीं है।

8. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया, जमानत का मामला बनता है। हालाँकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक राजस्थान का निवासी

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



बताया जाता है, यह उचित होगा कि आवेदक द्वारा दी जाने वाली ज़मानतों में से एक स्थानीय ज़मानत हो।

9. ज़मानत की प्रार्थना पत्र **स्वीकार** की जाती है।

10. ऊपर बताए गए मुकदमा अपराध संख्या वाले मामले में शामिल आरोपी-आवेदक- **बिट्टू उर्फ विट्टू उर्फ विशाल राज सिंह** को ज़मानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार एक पर्सनल बॉन्ड और उतनी ही राशि के दो विश्वसनीय ज़मानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:

i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।

iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और मुकदमे में सहयोग करेगा।

iv. आवेदक परीक्षण न्यायालय द्वारा तय की गई हर तारीख पर नियमित रूप से पेश होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

11. ऊपर बताई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, परीक्षण न्यायालय उसकी ज़मानत रद्द करने की कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर से बनी प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा। यह प्रति इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित की गई हो, साथ ही यह वचन भी दिया जाए कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर जमा कर दी जाएगी।

13. आगे यह निर्देश दिया जाता है कि परीक्षण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए 'बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम' (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

14. ऊपर बताई गई बातें केवल इस ज़मानत प्रार्थना पत्र पर निर्णय लेने के लिए हैं और इन्हें मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं माना जाना चाहिए।

**अस्वीकरण:** अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

29 जून, 2026

विक्रम

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।